Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 2, February-2019, ISSN 2230-7540

पंचायती राज एवं ग्रमीण नेतृत्व में जाति पंचायतो की महत्वपूर्ण भूमिका

Vijaypal Singh*

M.A. in Sociology, UGC NET, Income Tax Inspector, Department of Revenue, Ministry of Finance at Noida

सार - ***जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह व्यक्ति के दैनिक दिनचर्या में ही नहीं बल्कि राजनीतिक जीवन में भी एक प्रभावी कारक का स्थान ले चुकी है। योगेश अटल ने भारतीय राजनीति में जाति को एक महत्वपूर्ण कारक स्वीकार किया है। देशाई के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के रानीतिक जीवन में जाति का प्रभाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि गाँव के लोगों में जाति के प्रति जागरूकता अधिक पायी जाती है। मजूमदार के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकांश गाँवों में प्रबल जाति शासन कर रही हैं जो ठाकुर या कभी ब्राह्मण या यादव या मुस्लिम रही है।***

----------X----------

आज भी ये प्रबल जातियाँ ग्रामीण राजनीति में प्रभावपूर्ण स्थान रखती है। लोकतांत्रीकरण एवं आधुनिकीकरण के प्रक्रम के परिणामस्वरूप यद्यपि वर्तमान काल में जाति का महत्व कम होता जा रहा है, तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्व के निर्धारण में जाति आज भी महत्वपूर्ण कारक है। जाति के आधार पर नेतृत्व की व्याख्या के लिए समस्त जाति समूहों को तीन प्रमुख वर्गो में विभाजित किया गया है। उन्नत जातियाँ पिछड़ी जातियाँ एवं अनुसूचित जातियाँ। आज भी अधिकाशं उन्नत जातियाँ ही प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जहाँ तक पिछडी जातियों का प्रश्न है वर्तमान लोकतांत्रिक परिवेश के परिणामस्वरूप अब वे भी नेतृत्व में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने लगी हैं। कुछ क्षत्रों के तथ्यों से ऐसा उल्लेख तथ्य प्रकाश में आया है कि अब पिछड़ी जातियों के लोग भी नेतृत्व के प्रति आधीन अभिमुखीकृत हो रहे है। "सामुदायिक विकास की जागरूकता" के एक आधुनिकतम सर्वेक्षण (1967) में 365 गाँवो के 7228 व्यक्तियों से साक्षात्कार लिया गया था, जिसमें 1414 नेता सम्मिलित थे। सर्वेक्षण की उपलब्धियों से ज्ञात होता है कि अधिकांश नेता उच्च जाति ब्राह्मण अथवा उच्च जातियों जैसे क्षत्रिय आदि प्रतिनिधित्व किया करते थे। अतः यह कहा जा सकता है कि परम्परागत शीर्षस्य जातियाँ बहुधा निम्नस्य जातियों की तुलना में ग्रामीण नेतृत्व में अधिक भाग ले रही हैं। आज भी राजनीति में निम्न जातियों की पहुँच न होने के कारण हैं, उनका आर्थिक रूप से पिछड़ा होना। डा॰ कश्वाल नारायन ने राजस्थान के ग्रामीण ढाँचे के अध्ययन में स्पष्ट किया है कि राजस्थान के ग्रामीण समाज में शक्ति, स्थिति और सम्पत्ति उच्च जातीय समूहों में निहित है। इन जातियों की एकाधिकारी स्थिति आर्थिक असमानताओं का कारण है।जिसके कारण यह जातियाँ शेष निम्न जातियों का शोषण करती हैं। और इन पर अपना प्रभुत्व रखता हैं। ग्रमीण सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक एवं सांस्कृतिक जीवन को सरकार स्वयं नियोजित ढंग से जनतांत्रिक विकास में परिणित कर रही है। इसलिए प्रत्येक ग्रामीण के लिए अपने ऊपर लागू होने वाले नियमों, कानूनों एवं प्राप्त होने वाली सुविधाओं के प्रति शर्तो की जानकारी आवश्यक है। देसाई ने उचित ही कहा है कि वर्तमान विकास सम्बन्धी कार्यक्रम और प्रशासनिक व्यवस्था की प्रारम्भिक जानकारी व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। इन सब तथ्यों के अलावा गाँव के पुराने प्रशासनिक एवं न्यायिक पंचायत ने ले लिया है। इन नागरिक प्रशासनिक एवं न्यायिक संस्थाओं के कार्यवाही के कुछ निश्चित नियम और कानून है जिनका पालन होना आवश्यक होता है। जिसको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण नेतृत्व को जाति पंचायतें समय समय पर कम या अधिक प्रभावित करती चली आ रही हैं। जिसके परिणामस्वरूप जातीय पंचायत के महत्व को पूर्ण रूपेण नकारा नहीं जा सकता है। बल्कि आज के राजनैतिक परिवेश में जाति पंचायत का महत्व अत्ययाधिक तीव्र गति से बढ़ रहा हैं।

जातीय पंचायत ग्रामीण व्यवस्था में एक शक्तिशाली परम्परागत संस्था रही है। अति प्राचीनकाल में सम्पूर्ण

www.ignited.in

भारतीय ग्रामीण समाज की शक्ति संरचना की यह मूल आधार रही है। जाति पंचायत जिसे बोल-चाल की भाषा में बिरादरी कहते हैं, एक प्रकार की न्याय परिषद् है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपनी जाति समूह में उत्पन्न होने वाले विघटनकारी कार्यो को रोकना और अपराधों पर उचित दण्ड की व्यवस्था करना है। जातीय पंचायत न्यायिक कार्य के साथ ही रक्षात्मक, संगठनात्मक और कल्याणकारी कार्य करती है। यह जाति व्यवस्था के नियमों का पालन कड़ाई से कराती है। बाहरी आक्रमण से जाति व्यवस्था की रक्षा करती है। जकार्य जाति के सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनी जाति के सभी सदस्यों को संगठित करती है। प्रो॰ घुरिये ने जाति पंचायत को निरीक्षक सभा माना है।

मजूमदार ने जातिय पंचायत को जाति पंचायत को न्याय परिषद् माना है, जिसका मुख्य उदेश्य जातीय झगड़ो का निपटारा और अपराधी को दण्ड देना है। उन्हीं के शब्दों में - बिरादरी एक प्रकार की न्याय परिषद् होती है। बिरादरी का उदेश्य समुदाय में अशोभनीय घटनाओं को रोकना और अपराधी को दण्ड देना है। श्रीनिवास ने जातीय पंचायत को बुजुर्गो की सभा माना है। यह ग्रामीण झगडों के न्याय के निर्णायक होने के साथ-साथ सम्पूर्ण ग्रामीण समाज के सामान्य हितों पर विचार करती है। सामान्यतः जातीय पंचायतों के विभिन्न पद पैतृक होते हैं। सबसे बड़ा लड़का अपने पिता के पद का पदाधिकारी होता है। योग्य व्यक्ति की तलाश की जाती है। जातीय पंचायत का उच्च पदाधिकारी चैधरी होता है। इसके बाद पंच और सदस्य होते है। इन्हीं लोगों के माध्यम से जातिगत समस्याओं का समाधान किया जाता है।

जाति पंचायत चूंकि एक प्रकार की न्याय परिषद् है इसलिए इसमें जाति से सम्बन्धित सभी प्रकार के झगड़े एवं समस्याएं निर्णयार्थ रखी जाती हैं। जैसे वैवाहित नियमों का उल्लघंन, अनियमित यौन संम्बन्ध एवं अपराध, परिवारिक झगड़े, चारी, वर्जित जातियों में भोजन व जल ग्रहण करना, दूसरी जातियों की स्त्रियों को रखैल के रूप में रखना, औरत भगाना, अविवाहित या विवाहित स्त्री के साथ व्यभिचार करना, विवाहित युवा स्त्री को उसके पती के यहाँ भेजने से इनकार करना पत्नी का गुजर-बसर करने से इंकार करना तथा तलाक देना, ऋणों का भुगतान न देना, साधारण मार-पीट, वर्जित जानवरों को जान से मारना जैसे-गाय, सम्पति, विपदा आदि। ग्रमीण कल्याण एवं पुननिर्माण में जाति पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

यद्यपि निम्न जातियों विशेषकर हरिजनों में जाति पंचायतों के माध्यम से जातीय एकता की भावना में वृद्धि हो रही है फिर भी कुछ अन्य निम्न जातियों में जातीय पंचायत का महत्व पहले से कम रहा है। ज्योतिर्मयी शर्मा ने पश्चिमी बंगाल के कुछ गाँवों का सामाजिक अध्ययन किया और बताया कि ग्रामीण समाज व्यवस्था में जातीय पंचायत का महत्व कम हो रहा है। जाति के प्रभावशाली लोगों से नेतृत्व भार ग्रहण करने की पत्याशा की जाती है। लेकिन उनके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते । ग्रामीण समाज के नेतृत्व में उच्च जाति के नेताओं का विशेष महत्व होता है अतः स्पष्ट है कि जाति पंचायत में विशेष महत्व रखने वाले का निर्णय ही मान्य होता है।

ग्राम पंचायत वास्तव में गाँव की स्वाधीता एवं समृद्धि का आधार है। इसके माध्यम से ग्रामीण समस्या का सामाधान ग्रामीण स्तर पर खोज निकालने में मदद मिलती है। यह सरकार को भी बोधगम्य बनाती है। इनके परिणाम स्वरूप ही ग्रामीण क्षेत्रों में राजनैतिक चेतना एवं राजनीतिकरण का विकास हो रहा है। अतः ग्रामीण समुदाय के किसी भी अध्ययन में इस न्याय पंचायत की कार्य प्रणाली, सफलता इसमें सुधार एवं परिवर्तन का अध्ययन करना नितांत आवश्यक हो जाता है। न्याय पंचायत में रखी जाने वाली समस्याओं के समाधान को देखने से यह ज्ञात होता है कि न्याय पंचायत राज्य की भाँति एक अपनी स्वतंत्र न्याय व्यवस्था कायम किए हुए है। न्याय पंचायत के सदस्य स्वयं प्रशासक की भूमिका का निर्वाह करते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज संरचना में प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले किसी जाति का सदस्य होता है। तत्पश्चात् न्याय पंचायत के नियमों एवं परम्पराओं की मान्यता से सर्वोपरि स्थान देता है। ऐसा न करने पर न्याय पंचायत उस व्यक्ति को सजा देती है जिससे वह दण्ड का भागी होता है। भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा ही देखने को मिलता है। हालांकि वास्तविक रूप में अभी यह उतना सफल नहीं है जितना कि होना चाहिए, क्योकि इसे अभी भी उतने ज्यादा अधिकार प्राप्त नहीं हैं जिससे समस्यों का समाधान एवं नियमों का प्रतिपादन ठीक ढ़ग से किया जा सके। इसके लिए यह अति आवश्यक है कि इसे कुछ आवश्यक अधिकार प्रदान किए जायें, जिसकी संवैधानिक मान्यता इसको प्राप्त हो, जिससे नियमों के प्रतिपादन एवं उनको लागू करने में सहायता मिले। अगर न्याय पंचायतों के प्रशासनिक अधिकार वित्तीय अधिकार एवं सहायता तथा न्याय सम्बधी अधिकार क्षेत्र का विस्तार अधिक कर दिया जाये तो यही न्याय पंचायतें ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय भूमिका अदा कर सकती हैं। वर्तमान व्यवस्था में न्याय पंचायत के अपनी आज्ञा का पालन करवाने का कोई प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं है, और न ही इसके पास पर्याप्त स्रोत है। इस कारण ग्रामीण

www.ignited.in

विकास में इसकी भूमिका नगण्य है। न्याय की दृष्टि से न्याय पंचायत को पर्याप्त अधिकार प्राप्त नहीं है, जिससे गाँव वालों को सत्ता तथा शीघ्र अर्थात कम समय में न्याय सम्बंधी अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया जायें तो ग्राम वालों को न्याय अधिक सुलभ हो सकता है।

REFERENCES

1. Atal yogesh: Caste in India Politics: Eastern Anthropoiogist, 1971.
2. Desai, A. R. (1961). Rural Sociology in India, Popular Prakashan, Bomdoy.
3. Majumdar, D.N. (1986). Rural in profile, Ram Advani, Lucknow, 1986.
4. Narayan, Lqbal (1976). Panch ayati Raj in Rajasthan, New Deihi.
5. Majumdar, D. N. (1958). Caste and Communication in India Village, Asia Publishing House, Bouse, Bombay.
6. Ghurye, G.S. (1961). Caste Class and Occupation, Popular Book Dept., Bombay.
7. Sharma: Jyotirmayee: Village in West Bangal.
8. Shrinivas, M.N. (1964). Caste in Modern India and other Essays, Asia Publishing House, Bombay.

Corresponding Author

Vijaypal Singh*

M.A. in Sociology, UGC NET, Income Tax Inspector, Department of Revenue, Ministry of Finance at Noida

singhvijaypal89@gmail.com